राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2053

10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

टिनप्लेट और टिन-फ्री इस्पात के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विनियम

2053. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार टिनप्लेट और टिन-फ्री इस्पात के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विनियमों, जिसे लागू करने में उसे लगभग चार वर्ष पूर्व असफलता प्राप्त हुई थी, को लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या इस कदम का लक्ष्य सामान के आयातों को नियंत्रित करने के लिए गैर-प्रशुल्क अवरोध के रूप में काम करना है और यह भारत में टिनप्लेट विनिर्माता लॉबी द्वारा प्रेरित है, जिनका दावा है कि उनके पास पर्याप्त घरेलू क्षमता उपलब्ध है; और

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लगता है कि इस क्षेत्र को अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन परीक्षण के अंतर्गत लाना अनुत्पादक होगा?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): बीआईएस एक्त के तहत् गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख): गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाते हैं कि देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हैं और कोई घटिया/त्रुटिपूर्ण इस्पात का उत्पाद अथवा आयात नहीं किया जा रहा। बीआईएस एक्ट 2016 के उल्लेखानुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना जनहित में अथवा मनुष्य, पशु या वनस्पति का संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राइम और नॉन-प्राइम टिन प्लेट का उत्पादन, आयात और खपत मीट्रिक टन में निम्नानुसार हैं:

मात्रा	**उत्पादन**	**आयात**	**खपत**	**% उपयोग**
प्राइम	392064	65330	457394	73.3%
नॉन-प्राइम	39453	126810	166263	26.7%
कुल	**431517**	**192140**	**623657**	

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

(ग): कुछ एमएसएमई एसोसिएशनों से एमएसएमई द्वारा उत्पादित उत्पादों की लागत व प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी परेशानियों के बारे में प्रतिवेदन हैं।

****